



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ गाजियाबाद

(ISO 9001 :2015 एवं ISO 14001 :2015 प्रमाणित संस्था)

“सार्वजनिक सूचना”

एतद्वारा जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की मधुबन बापूधाम योजना में अर्जित भूमि के सापेक्ष 800 एकड़ (करार से प्राप्त भूमि) व 281 एकड़ (नवीन भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अर्जित भूमि) से प्रभावित कृषकों को देय क्रमशः 06 प्रतिशत व 20 प्रतिशत विकसित भूखण्ड (अर्जित भूमि के सापेक्ष 10 प्रतिशत विकसित भूखण्ड) एवं योजना के पॉकेट-ई में स्थित शमशान के निकट नियोजित 373 आवासीय भूखण्डों को अन्यत्र शिफ्ट करने तथा संशोधित तलपट मानचित्र में उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत संशोधित तलपट मानचित्र तैयार किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की 169वीं बैठक दिनांक 20.05.2025 में प्रस्तुत किया गया, जिस पर मा० बोर्ड द्वारा सम्यक विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। जनसूचना से मानचित्र संशोधन से पूर्व जन-सामान्य से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु सार्वजनिक सूचना का प्रारूप निम्नवत् है:-

उक्त के अनुपालन में जनसाधारण के अवलोकनार्थ मधुबन बापूधाम के संशोधित तलपट मानचित्र को मधुबन बापूधाम के स्थल कार्यालय एवं स्वागत कक्ष-गा०वि०प्रा०, गाजियाबाद में दिनांक 29.05.2025 की प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 28.06.2025 की सांय 5:00 बजे तक प्रदर्शित किया जा रहा है। उक्त मानचित्र पर जनसाधारण से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति / संस्था उक्त मानचित्र के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति / सुझाव देना चाहें तो उक्त अवधि में अपनी आपत्ति / सुझाव प्राधिकरण परिसर के स्वागत कक्ष में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति / सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष

ई-मेल : helplinegda@gmail.com, [f@Gda Ghaziabad](https://www.facebook.com/GdaGhaziabad) [t: gdagzb](https://www.twitter.com/gdagzb)

हेल्पलाइन नं: 0120-4418384 व्हाट्सएप : 9990988004, वेबसाइट : www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर हमारा संकल्प